क्रम-संख्या–294

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू/एन०पी०/91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 20 अगस्त, 2009

श्रावण 29, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1179/79-वि-1-09-1(क)15-2009

लखनऊ, 20 अगस्त, 2009

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 19 अगस्त 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2009

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2009)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 में अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

(2) यह 16 जून, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1976 की धारा 3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी अर्थात् :–

"(4) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (न्यायिक) के रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा जब तक कि–

(क) उसने सुपर टाइम स्केल के जिला न्यायाधीश का पद या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण न किया हो; या

(ख) उसने कम से कम दो वर्ष तक न्यायिक सदस्य का पद धारण न किया हो।"

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2009 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2009

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1976) का अधिनियमन उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त लोक सेवकों के सेवायोजन से सम्बद्ध विषयों के सम्बन्ध में विवादों के न्यायनिर्णयन के निमित्त अधिकरणों के गठन की व्यवस्था करने के लिए किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) में यह प्रावधान था कि कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (न्यायिक) के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि उसने कम से कम पाँच वर्ष तक जिला न्यायाधीश का पद या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण न किया हो या उसने कम से कम दो वर्ष तक न्यायिक सदस्य का पद धारण न किया हो। काफी समय से रिक्त रहने वाले उक्त पद पर नियुक्त किये जाने हेतु पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके यह व्यवस्था की जाय कि कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (न्यायिक) के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि उसने सुपर टाइम स्केल के जिला न्यायाधीश का पद या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण न किया हो या उसने कम से कम दो वर्ष तक न्यायिक सदस्य का पद धारण न किया हो।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 16 जून, 2009 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2009) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,
सचिव।

No. 1179(2)/LXXIX-V-1–09-1(ka) 15-2009

Dated Lucknow, August 20, 2009

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Adhikaran) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2009 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 2009) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 19, 2009.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (TRIBUNAL) (AMENDMENT) ACT, 2009

(U.P. ACT NO. 19 OF 2009)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976.

IT IS HEREBY enacted in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Act, 2009.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 16, 2009.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 17 of 1976

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976 hereinafter referred to as the principal Act *for* sub-section (4) the following sub-section shall be *substituted*, namely :–

"(4) A person shall not be qualified for appointment as Vice-Chairman (Judicial) unless he,–

(a) has held the post of District Judge of Super Time Scale or any other post equivalent thereto; or

(b) has, for at least two years, held the post of a Judicial Member.

Repeal and Saving

U.P. Ordinance no. 6 of 2009

3. (1) The Uttar Pradesh Public services (Tribunal) (Amendment) Ordinance, 2009 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASON

The Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) Act, 1976 (U.P. Act no. 17 of 1976) has been enacted to provide for the constitution of tribunals to adjudicate disputes in respect of matters relating to employment of all public servants of the State of Uttar Pradesh. Sub-section (4) of section 3 of the said Act provided that a person shall not be qualified for appointment as Vice Chairman (Judicial) unless he has held the post of District Judge or any other post equivalent thereto for at least five years, or has, for at least two years held the post of a Judicial Member. With a view to ensuring availability of sufficient number of eligible candidates for appointment to the said office which was lying vacant for long time, it was decided to amend the said Act to provide that a person shall not be qualified for appointment as Vice chairman (Judicial) Unless he has held the post of District Judge of Super Time Scale or any other post equivalent thereto, or has for at least two years held the post of Judicial Member.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) Ordinance, 2009 (U.P. Ordinance no 6 of 2009) was promulgated by the Governor on June 16, 2009.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
P.V. KUSHWAHA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–478 राजपत्र (हि०)–2009–(1002)–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–131 सा० विधायी–2009–(1003)–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर / आफसेट)।